कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सतना म0प्र0

सतना, दिनांक –25.03.2020

//आदेश//

क्रमांक/ 75 /खाद्य सुरक्षा/2020 मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक घोषित किये गये लाक डाउन की अवधि मे नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये जिले मे कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु एवं खाद्य आपूर्ति को छूट दी गई है, तथा आम लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु सतना जिले मे पूर्ण लाक डाउन के दौरान आवश्यक खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. दुकानदारो हेतु–

1.1 लॉक डाउन के दौरान बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे राशन, किराने का समान ,फल एवं सब्जी, दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट,ब्रेड रोजमर्रा की अत्यावश्यक वस्तुओं की सेंवाएं इससे मुक्त रहेंगी।

1.2 लॉक डाउन के दौरान किराना दुकानें, फल व सब्जी की दुकानें, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई आम जन तक सुनिश्चित करने हेतु सुबह 07 बजे के बाद से शाम 5.30 बजे तक खुली रहेंगी, दुकानदार इस दौरान कोरोना वायरस के बचाव के संबंध मे शासन से प्राप्त निर्देश– सोशल डिस्टेंसिंग आदि दिशा–निर्देशों का पालन करेंगें तथा पालन नहीं करने पर धारा 144 व 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

1.3 लॉक डाउन के दौरान खाद्य कारोबारी उक्त पदार्थों की सप्लाई हेतु होम डिलीवरी की सुविधा के संबंध मे सार्थक प्रयास करेंगें एवं होम डिलेवरी कर्ताओं का पंजीयन एवं मेडिकल जॉच नियमित करायेगें।

1.4 लॉक डाउन के दौरान कालाबाजारी या जमाखोरी करते पायें जाने पर लाइसेंस एवं पंजीयन निरस्त करते हुये दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

Scanned by CamScanner

2. निर्माताओं हेतु–

2.1 लॉक डाउन के दौरान खाद्य पदार्थ जैसे– आटा, दाल, चावल, खाद्य तेल, बेकरी (केवल ब्रेड,टोस्ट,बिस्किट), नमकीन निर्माण व प्रसंस्करण करने वाली ईकाइया Covid-19 से संबंधित सुरक्षा निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुये निर्माण कार्य जारी रख सकेंगी। निर्माण कार्य मे संलग्न कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम रखी जाये तथा उनसे शिफ्ट मे कार्य लिया जाय।

2.2 श्रमिक नियमित मेडिकल जॉच करायेगे व अनुमति पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करेगे।

3. ट्रान्सपोटर्स हेतु–

3.1 जिले में दो प्रकार के ट्रान्सपोर्टस है–

1. जिले से बाहर माल मंगाने हेतु।
2. जिले की थोक व्यपारियो से खुदरा व्यपारियों को पहुचाने हेतु।

उक्त दोनो प्रकार के ट्रान्सपोटर्स आवश्यक वस्तुओं के ट्रान्सपोर्ट हेतु मुक्त रहेगे।

3.2 लॉक डाउन के दौरान जिले मे खाद्य पदार्थो के ट्रांसपोर्ट के लिये उपयोग किये जाने वाले मालवाहक वाहन एवं अनुमति पत्र आवश्यक रूप इस कार्यालय को सूचित करते हुए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त कर सकेंगें।

3.3 लॉक डाउन के दौरान खाद्य पदार्थों के परिवहन मे प्रयुक्त माल वाहनों मे खाद्य पदार्थ से संबंधित समस्त दस्तावेज जैसे– खाद्य पंजीयन अथवा लाइसेंस एवं बिल/इनव्हाइस या चालान अपने साथ आवश्यक रूप से रखेंगें। परिवहन के दौरान अन्य सामग्री पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

4. उक्त आदेश का उल्लघन करते हुये पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 एवं अन्य प्रावधानो के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सतना

Scanned by CamScanner

पृ0 कमांक / 75 / खाद्य सुरक्षा / 2020

सतना दिनांक 25/3/2020

प्रतिलिपि

1. आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन म0प्र0 भोपाल।

2 आयुक्त रीवा संभाग रीवा।

3.आयुक्त नगर निगम सतना।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिलस पंचायत जिला सतना।

5. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला सतना।

6. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर पालनार्थ।

7.संबंधित समस्त नापतौल निरीक्षक जिला सतना की ओर पालनार्थ।

8. उपसंचालक जिला जनसंपर्क विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. सर्वसंबंधित ....की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सतना

Scanned by CamScanner